कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0.एल0ए0 / एस0एस0–1 / श0स्था0नि0 / दिनांक–

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता
जिला शहरी विकास अभिकरण(DUDA), मुजफ्फरपुर
जिला– मुजफ्फरपुर

महाशय,

जिला शहरी विकास अभिकरण, मुजफ्फरपुर के मार्च 2010 से सितम्बर 2016 तक के लेखाओं पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0 743/16–17 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया/करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नकः यथोपरि

भवदीय,

ह0

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0/सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

सं0–एल0ए0/एस.एस.–1/श0स्था0नि0/14636/416 दिनांक– 10.02.2017

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर

तनवीर हसन 10/2/17

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0/सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

1364

**कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना**
**सामाजिक प्रक्षेत्र– ।**

**निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या–743/16–17**
**भाग–।**
**प्रस्तावना**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | कार्यालय का नाम | कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण मुजफ्फरपुर |
| 2. | कार्यपालक अभियंता का नाम एवं पताः | श्री विन्दा सिंह ,कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण मुजफ्फरपुर |
| 3. | लेखा परीक्षा की अवधि : | 3/2010 से 9/2016 |
| 4. | लेखापरीक्षा की तिथिः | 13.10.2016 से 24.10.2016 |
| 5. | विस्तृत जाँच का माह | 10/2010 एवं 11/2013 |
| 6. | अंकगणितीय जाँच का माह | अक्टूबर 2010 तथा नवम्बर 2013 |
| 7. | लेखापरीक्षा दल के सदस्यगण | 1. श्री उदय नाथ ठाकुर, व०ले०प०अ०<br>2. श्री अमरनाथ कुमार, स०ले०प०अ०<br>3. श्री शिवमंगल, स०ले०प०अ०<br>4. श्री शशि रंजन, पर्य0<br>5. श्री सुजीत कुमार न0 1, ले0प0 |
| 8. | लेखापरीक्षा का विस्तार | जिला शहरी विकास अभिकरण मुजफ्फरपुर के माह मार्च 2010 से सितम्बर 2016 तक के लेखाओं का नमूना जाँच किया गया। विस्तृत जाँच का माह 10/2010 एवं 11/2013 में निकासी की गयी राशि एवं माह 3/2010 से 9/ 2016 के दौरान कोषागार में जमा की गयी राशि का मिलान जिला शहरी विकास अभिकरण मुजफ्फरपुर के अभिलेखों से कर लिया गया है। |
| 9 | क्या लेखापरीक्षा आपत्ति पर विचार विमर्श किया गया | हाँ, कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण मुजफ्फरपुर के साथ दिनांक 24.10.16 को लेखा परीक्षा आपत्तियों पर विचार विमर्श किया गया I |

**दावा अस्वीकार प्रमाण–पत्र**

यह निरीक्षण प्रतिवेदन जिला शहरी विकास अभिकरण, मुजफ्फरपुर द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है। प्राप्त सूचनाओं/तथ्यों में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर निरीक्षण प्रतिवेदन में त्रुटि की जिम्मेवारी महालेखाकार कार्यालय (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना की नहीं होगी।

## भाग–।।

## खण्ड– क– शून्य

## भाग–।।

## खण्ड– ख

**कंडिका सं0 1 रॉयल्टी, वैट एवं श्रम सेस की राशि संबंधित शीर्ष में जमा नहीं रू0 16.33 लाख**

रॉयल्टी, वैट एवं श्रम सेस की संचिका के नमूना जॉच में पाया गया कि कार्यालय द्वारा दिनांक 01.04.2016 से अब तक कुल राशि 1633049 रू0 (रॉयल्टी 472656 वैट 966993 एवं श्रम सेस 193400 रू0) संवेदक से काटा गया लेकिन अभी तक संबंधित शीर्ष में जमा नहीं किया गया। (विस्तृत विवरण परिशिष्ट– ।पर)

लेखा परीक्षा के दौरान उपर्युक्त बिन्दुओं पर मांगे गए मंतव्य के जवाब में कार्यपालक अभियंता द्वारा विचार विमर्श के दौरान बताया गया कि अविलम्ब जमा कर लेखा परीक्षा को सूचित कर दिया जायेगा।

अतः जवाब के आलोक में कार्रवाई कर लेखा परीक्षा कार्यालय को सूचित करना सुनिश्चित किया जाए।

**कंडिका सं0–2 मुजफ्फरपुर शहरी क्षेत्र अन्तर्गत मिठनपुरा चौक से पंजाब नेशनल बैंक बेला तक पथ निर्माण कार्य की समीक्षा**

कार्य का नाम :– मुजफ्फरपुर शहरी क्षेत्र अन्तर्गत मिठनपुरा चौक से पंजाब नेशनल बैंक बेला तक पथ निर्माण

एकरारनामा संख्या – 15 एफ2/13–14

संवेदक – मेसर्स शैल कन्सट्रक्सन

एकरारित राशि –8735054/– (0.1 प्रतिशत कम दर पर)

तकनीकी स्वीकृति –92.00 लाख

कार्यारंभ की तिथि – 09.05.2013

कार्य पूर्णता की तिथि – 08.11.2013 (6 माह)

अद्यतन भुगतान –8811771/– (4 था एवं अंतिम विपत्र)

मापी पुस्त सं0 –24/13–14/ पृष्ठ 1 से 34 तक

उक्त कार्य के अभिलेखों के नमूना जाँच के दौरान निम्नांकित अनियमितताएँ पाई गई :–

(क) प्राक्कलन सही तरीके से नहीं तैयार करने के कारण योजना का पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं होना एवं निष्फल होने की संभावना रु0 8811771/–

संचिका जॉच में पाया गया कि मेसर्स शैल कन्सट्रक्सन को कार्य सौपे जाने के बाद मेसर्स शैल कन्सट्रक्सन द्वारा दिनांक 13.06.2013 को सूचित किया गया कि पथ की पूरी लम्बाई में दोनों तरफ कच्चा

नाला है जिसमें आज (गर्मी के दिन में) भी पानी भरा हुआ था। उनके द्वारा यह भी सूचित किया गया कि बरसात के दिनों में नाला पथ से सटे रहने के कारण पथ पर भारी यातायात रहने से क्षतिग्रस्त होगा।

उक्त आवेदन पर कार्यपालक अभियंता द्वारा स्थल निरीक्षण कर एवं प्राक्कलन का विश्लेषण कर सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता से प्रतिवेदन मॉगा (दि0 14.06.2013)।

इस मामला पर कार्यपालक अभियंता के पत्रांक 351 दि0 11.07.2013 द्वारा उक्त योजना का पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार कर तकनीकी स्वीकृति हेतु अधीक्षण अभियंता को भेजा गया। यद्यपि प्राक्कलन संचिका में उपलब्ध नहीं था परन्तु इससे स्पष्ट होता है कि पथ पर पानी का लगना तथा रास्ता का टूटना दोनों ही तथ्य सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता द्वारा तथा कार्यपालक अभियंता द्वारा स्वीकार कर लिया गया। अर्थात् प्रारम्भ में प्राक्कलन सहीं तरीके से तैयार नहीं किया गया और योजना का पूर्ण लाभ जनता को प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि लेखा परीक्षा की तिथि अर्थात तीन वर्ष बाद भी अर्थात् मरम्मती की अवधि लगभग समाप्ति तक भी नाला निर्माण का कार्य नहीं किया गया फलत; योजना पर किया गया व्यय रु0 8811771/– निष्फल होने की संभावना है।

**(ख) मापी का संदिग्ध होना अधिक भुगतान रु0 11480/–**

पी0 सी0 सी0 कार्य हेतु जी0एस0बी0 997.47 मी0 पर किया गया जबकि सड़क की लम्बाई 995. 05 मीटर थी तथा दो अदद कास ड्रेनेज 1.52 मी0 चौडा का निर्माण किया जाना था अर्थात 995.05– 3. 04 (992.01) मीटर ही जी0एस0बी0 किया जाना चाहिए था। अर्थात 997.47–992.01 (5.46 मी0) ज्यादा जी0एस0बी0 दिखाया गया एवं 5.46x 2102.58 रु0 11480 अधिक भुगतान किया गया।

**(ग) बगैर निर्माण के माप के परिमाण को बढाया जाना रु0 422975 तथा** भुगतान की राशि एकरारीत राशि से रु0 76717 अधिक

मापी पुस्त के जॉच में पाया गया कि दूसरे मापी में जितना निर्माण कराया गया था एवं उसे एकरारनामा की मात्रा से सीमित किया गया था उसी कार्य को सीमा विहीन कर मापी के कार्य को रु0 8721771 से रु0 9144746 कर दिया गया अर्थात संवेदक को लाभ देने हेतु रु0 422975 बढा दिया गया तथा राशि की उपलब्धता से सीमित करते हुए रु0 90000 का अतिरिक्त भुगतान किया गया। इस प्रकार भुगतान की राशि (8811771) एकरोरीत राशि (8735054) से 76717 ज्यादा थी।

**(ध) मिट्टी कार्य में क्षतिपूर्ति राशि के भुगतान का कोई साक्ष्य नहीं ₹ 6379**

डी0 पी0 आर0 में Compensation for earth taken from private land के लिए दर विश्लेषण से ज्ञात होता है कि इस दर में 16.10 प्रति घन मीटर राशि प्राइवेट जमीन मालिक के जमीन से मिट्टी काटे जाने के एवज में क्षतिपूर्ति राशि के भुगतान हेतु शामिल की गई थी। संचिका में क्षतिपूर्ति राशि के भुगतान का कोई साक्ष्य मौजूद नहीं था। गणना की विवरणी इस प्रकार है:–

| मिट्टी की मात्रा | दर | क्षतिपूर्ति की कुल राशि |
|---|---|---|
| 396.24 $M^3$ | 16.10/$M^3$ | 6379/– |

**(ङ) <u>लघु खनिज सामग्री की ढुलाई पर अनियमित भुगतान 0.48 लाख</u>**

बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली 1972 के नियम 40(10) के प्रावधानानुसार अवैध खनन को रोकने एवं लघु खनिज के ढुलाई भुगतान को सुनिश्चित करने हेतु संवेदकों से प्रपत्र 'एम' तथा 'एन' एवं चालान का लिया जाना अनिवार्य है। चालान का सत्यापन संबंधित खनन पदाधिकारी से कराए जाने के पश्चात ही विपत्रों का भुगतान किया जाना है।

अभिलेखों के जाँच में पाया गया कि सरकार के उपरोक्त प्रावधानों की अवहेलना करते हुए संवेदक से प्रपत्र 'एम' तथा 'एन' के साथ चालानों की प्रति लिये बगैर/सत्यापन कराये बिना सिर्फ रॉयल्टी की कटौती कर संवेदक के विपत्रों का भुगतान कर दिया गया। इससे यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है कि लघु खनिज की जो सामग्रियाँ कार्य के उपयोग में लाई गई थी, वह प्राक्कलन/एकरारित में प्रावधानित स्थलों/खदानों से ही लाई गई थी। इससे कार्य में प्रयुक्त सामग्री की मात्रा, गुणवत्ता एवं ढुलाई भुगतान को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। इससे अवैध खनन को बढ़ावा दिये जाने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। इस प्रकार ढुलाई मद में किया गया भुगतान अनियमित है। विवरण इस प्रकार है:–

| सामग्री | मात्रा | ढुलाई का दर | भुगतान (रू0) |
|---|---|---|---|
| स्टोन चिप्स | 20.23 $M^3$ | 1612.73/ $M^3$ | 32626 |
| ईंट | 929 | 469 प्रति हजार | 436 |
| सीमेंट | 10.717MT | 190.38MT | 2040 |
| कोर्स बालू | 10.12 $M^3$ | 1327.58/ $M^3$ | 13428 |
| | | | 48530 |
| | | एकरारनामा के अनुसार 0.1 % कम दर पर (–) | 49 |
| | | | 48481.00 |

इस प्रकार साक्ष्य के अभाव में लघु खनिज सामाग्री के ढुलाई पर रु0 48481.00 का अनियमित भुगतान किया गया।

**(च) ब्रिक सोलिंग का गलत मापी के आधार पर रु0 3301/– का अधिक भुगतान**

100 ए ब्रिक सोलिंग का कार्य की वास्तविक गणना 465.06 वर्ग मीटर है जबकि भुगतान गलत गणना 475.45 वर्गमीटर पर किया गया। अर्थात 10.39 वर्गमीटर का भुगतान रु0 317.74 प्रति वर्गमीटर की दर से कुल रु0 3301/– अधिक किया गया।

लेखा परीक्षा के दौरान उपर्युक्त सभी बिन्दुओं पर मांगे गए मंतव्य के जवाब में कार्यपालक अभियंता द्वारा विचार– विमर्श के दौरान बताया गया कि मुख्यमंत्री नगर विकास योजनान्तर्गत माननीय विधायक द्वारा अनुशंसा के आलोक मे प्राक्कलन तैयार किया गया था संबंधित अभिलेखों के विस्तृत जॉच के बाद स्थिति स्पष्ट कर एवं संवेदक से एम तथा एन फॉर्म की मॉग की जाएगी तत्पश्चात् लेखा परीक्षा कार्यालय को समर्पित किया जाएगा।

अतः जवाब के आलोक में कार्रवाई कर लेखा परीक्षा कार्यालय को सूचित करना सुनिश्चित किया जाए।

**कंडिका सं0 3– हाथी चौक से लेप्रोसी मिशन तक पथ निर्माण कार्य की समीक्षा**

कार्य का नाम :– हाथी चौक से लेप्रोसी मिशन तक पथ निर्माण कार्य

एकरारनामा संख्या – 30 एफ2/10–11

संवेदक – मेसर्स शैल कन्सट्रक्सन

एकरारित राशि –28945511 /–(29035521/– से 0.31 प्रतिशत कम दर पर)

तकनीकी स्वीकृति –293.259 लाख

कार्यारंभ की तिथि – 01.09.2010

कार्य पूर्णता की तिथि – 31.08.11. (12 माह)

अद्यतन भुगतान –29136491/– (12 वॉ एवं अंतिम विपत्र )

उक्त कार्य के अभिलेखों के नमूना जॉच के दौरान निम्नांकित अनियमितताएँ पाई गई :–

**(क) कार्य का डी0पी0आर0, सामग्री विवरणी, एम0एण्ड एन0 फार्म उपलब्ध नहीं कराया गया**

**(ख) अधिक डिसमेंटलिंग कार्य दिखाकर भुगतान किया जाना रु0 188325**

संबंधित कार्य के प्राक्कलन के अनुसार सडक की लम्बाई 2.485 कि0मी0 थी अर्थात 2485X 3.28 =8150.8 फीट थी जबकि मापी पुस्त में चालू विपत्र सं0 1,2,3,6 एवं 8 द्वारा कुल डिसमेंटलिंग की लम्बाई 11516.66 फीट दिखाई गई। इस प्रकार डिसमेंटलिंग का कार्य 3365.86 फीट कुल सड़क की लम्बाई से ज्यादा दर्शाया गया जिसका औसत गणना 248 X 3365.86X 1838.91/8150.8 के आधार पर रु0 188325 अधिक भुगतान किया गया।

**(ग) अधिक कार्य दिखाकर भुगतान किया जाना रु0 1031945**

संबंधित कार्य के प्राक्कलन के अनुसार सडक की लम्बाई 2.485 कि0मी0 थी अर्थात 2485x 3.28 =8150.8 फीट थी जबकि मापी पुस्त में चालू विपत्र सं0 2, 3, 6 एवं 8 द्वारा कुल जी0एस0बी0 की लम्बाई 10132.66 फीट दिखाई गई ।इस प्रकार जी0 एस0 बी0 का कार्य 1981.86 फीट ज्यादा लम्बा दर्शाया गया जिसका औसत गणना 2240.72X 1981.86X 1894.07/8150 8 के आधार पर रु0 1031945 अधिक भुगतान किया गया।

**(घ) दिनांक 28.9.2010 को डिसमेंटलिंग एवं जी0एस0बी0 दोनों ही कार्य का मापी किया गया** जबकि यह व्यवहारिक प्रतीत नहीं होता है कि जी0एस0बी0 हो जाने के बाद डिसमेंटलिंग का कार्य को मापा जा सके।

**(ड़) संचिका में प्रयुक्त मैटेरियल विवरणी संलग्न नहीं थी** तथा मापी पुस्त में भी इसका विवरणी नहीं था परिणामस्वरुप उपयोग किये गये सामग्री पर लगने वाले रायल्टी की गणना नहीं की जा सकी तथा काटी गयी रायल्टी के गणना की सत्यता की जॉच नहीं की जा सकी।

**(च) बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली 1972 के नियम 40(10) के प्रावधानानुसार अवैध खनन** को रोकने एवं लघु खनिज के ढुलाई भुगतान को सुनिश्चित करने हेतु संवेदकों से प्रपत्र 'एम' तथा 'एन' एवं चालान का लिया जाना अनिवार्य है। चालान का सत्यापन संबंधित खनन पदाधिकारी से कराये जाने के पश्चात् ही विपत्रों का भुगतान किया जाना है।

अभिलेखों के जाँच में पाया गया कि सरकार के उपरोक्त प्रावधानों की अवहेलना करते हुए संवेदक से प्रपत्र 'एम' तथा 'एन' के साथ चालानों की प्रति लिये बगैर/सत्यापन कराये बिना सिर्फ रॉयल्टी की कटौती कर संवेदक के विपत्रों का भुगतान कर दिया गया। इससे यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है कि लघु खनिज की जो सामाग्रियाँ कार्य के उपयोग में लाई गई थी, वह प्राक्कलन/एकरारित में प्रावधानित स्थलों/खदानों से ही लाई गई थी। इससे कार्य में प्रयुक्त सामग्री की मात्रा, गुणवत्ता एवं ढुलाई भुगतान को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। इससे अवैध खनन को बढ़ावा दिये जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

लेखा परीक्षा के दौरान उपर्युक्त सभी बिन्दुओं पर मांगे गए मंतव्य के जवाब में कार्यपालक अभियंता द्वारा विचार विमर्श के दौरान बताया गया कि मुख्यमंत्री नगर विकास योजनान्तर्गत माननीय विधायक द्वारा अनुशंसा के आलोक मे प्राक्कलन तैयार किया गया था संबंधित अभिलेखों के विस्तृत जॉच के बाद स्थिति स्पष्ट कर, एवं संवेदक से एम तथा एन फॉर्म की मॉग की जाएगी, तत्पश्चात् लेखा परीक्षा कार्यालय को समर्पित किया जाएगा।

अतः जवाब के आलोक में कार्रवाई कर लेखा परीक्षा कार्यालय को सूचित करना सुनिश्चित किया जाए।

**कंडिका सं0 4–शिव शंकर पथ में शम्भू बाबू के मकान से हरेन्द्र तिवारी के मकान तक पी0 सी0 सी0 पथ एवं नाला निर्माण कार्य की समीक्षा।**

कार्य का नाम :– शिव शंकर पथ में शम्भू बाबू के मकान से हरेन्द्र तिवारी के मकान तक पी0सी0सी0 पथ एवं नाला निर्माण कार्य ।

एकरारनामा संख्या – 3 एफ2/12–13

संवेदक – मेसर्स शैल कन्सट्रक्सन

एकरारित राशि –8344566

तकनीकी स्वीकृति –84.28 लाख

कार्यारंभ की तिथि – 28.06.2012

कार्य पूर्णता की तिथि – 27.12.2012. (6 माह)

अद्यतन भुगतान –8326933/– (5 वॉ एवं अंतिम विपत्र )

मापी पुस्त सं0 –5/2012–13

उक्त कार्य के अभिलेखों के नमूना जाँच के दौरान निम्नांकित अनियमितताएँ पाई गई :–

**(क) अनुसूची दर से अधिक भुगतान रु0 376916 /–**

सडक निर्माण विभाग के अनुसूची दर 6ठी सम्पादन जो दिनांक 1.5.2011 से प्रभावी था के अध्याय 4 में जी0एस0बी0 ग्रेड । का दर 784 प्रति घन मी0 तय किया गया है परन्तु उक्त कार्य के डी0पी0आर0 में यह पाया गया कि जी0एस0बी0 ग्रेड । के लिए रु0 1935.91 का दर स्वीकृत किया गया एवं 327.21 घन मी0 के लिए भुगतान किया गया। इस प्रकार अनुसूची दर से कुल रु0 376916 अधिक भुगतान किया गया।

**(ख) प्राक्कलन से अधिक भुगतान रु0 336058/–**

संबंधित कार्य के प्राक्कलन के अनुसार सडक की लम्बाई 710 मीटर थी जबकि मापी पुस्त में दर्ज की गई मापी के अनुसार जी0एस0बी0 का कार्य 742.5 मी0 पर कराया गया अर्थात प्राक्कलन से 32 मी0 ज्यादा कराया गया जबकि पी0सीसी0 का कार्य मात्र 636.5 मी0 ही कराया गया अर्थात 710 मी0 के सडक में 73.5 मी0 पर केवल जी0एस0बी0 डाला गया और पी0सी0सी0 नहीं कराया गया। इस प्रकार रु0 5947.28 प्रति घन मी0 के दर से कुल रु0 437125 अधिक मापी किया गया जिसमें से प्राक्कलन से कम भुगतान किया गया राशि रु0 101067 (8428000– 8326933) को समायोजित करने पर रु0 336058/– अधिक भुगतान किया गया।

**(ग) एक ही दिन विभिन्न मदों की मापी किया जाना– जैसे** Excavation, sand filliing, Brick soling, PCC, RCC इत्यादि। जबकि यह व्यवहारिक प्रतीत नहीं होता है कि जी0एस0बी0 हो जाने के बाद डिसमेंटलिंग का कार्य को मापा जा सके ।

**(घ) बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली 1972 के नियम 40(10) के प्रावधानानुसार अवैध खनन** को रोकने एवं लघु खनिज के ढुलाई भुगतान को सुनिश्चित करने हेतु संवेदकों से प्रपत्र 'एम' तथा 'एन' एवं चालान का लिया जाना अनिवार्य है। चालानों का सत्यापन संबंधित खनन पदाधिकारी से कराए जाने के पश्चात् ही विपत्रों का भुगतान किया जाना है।

अभिलेखों के जाँच में पाया गया कि सरकार के उपरोक्त प्रावधानों की अवहेलना करते हुए संवेदक से प्रपत्र 'एम' तथा 'एन' के साथ चालानों की प्रति लिये बगैर/सत्यापन कराए बिना सिर्फ रॉयल्टी की कटौती कर संवेदक के विपत्रों का भुगतान कर दिया गया। इससे यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है कि लघु खनिज की जो सामाग्रियाँ कार्य के उपयोग में लाई गई थी, वह प्राक्कलन/एकरारित में प्रावधानित स्थलों/खदानों से ही लाई गई थी। इससे कार्य में प्रयुक्त सामग्री की मात्रा, गुणवत्ता को सुनिश्चित नहीं किया जा सका तथा इससे अवैध खनन को बढ़ावा दिये जाने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

लेखा परीक्षा के दौरान उपर्युक्त सभी बिन्दुओं पर मांगे गए मंतव्य के जवाब में कार्यपालक अभियंता द्वारा विचार विमर्श के दौरान बताया गया कि (क) फिनिस्ड रेट में कैरेज एवं अनुसूची दर जोड़ा हुआ है। शेष के संबंध में कार्यालय प्रधान द्वारा विस्तृत रूप से जॉच कर जवाब समर्पित करने का आश्वासन

दिया गया और संवेदक से एम एवं एन फार्म की मॉग करने के उपरांत लेखा परीक्षा को सूचित करने की बात कही गई।

अतः जवाब के आलोक में कार्रवाई कर लेखा परीक्षा कार्यालय को सूचित करना सुनिश्चित किया जाए। (क) का जबाब भी तब तक मान्य नहीं है जबतक फार्म एम एण्ड एन प्राप्त नहीं कर लिया जाता।

**कंडिका :5 अखाड़ाघाट बॉध चौक से लकड़ीढाही चौक तक बॉध का चौडीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य।**

| | |
|---|---|
| योजना का नाम | मुख्यमंत्री नगर विकास योजना |
| कार्य का नाम | अखाडाघाट बॉध चौक से अखाडाघाट बॉध चौक से लकड़ीढाही चौक तक बॉध का चौडीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य। |
| संवेदक का नाम | श्री त्रिपुरारी प्रसाद सिंह। |
| एकरारनामा की राशि | रू0 36151345.00 |
| एकरारनामा संख्या | एस बी डी 01/2014–15 |
| एकरारनामा की तिथि | 07.10.2014 |
| कार्य पूर्ण करने की तिथि | 06.04.2016 |
| मापी पुस्त संख्या | 37/2014–15 |
| भुगतान की गई राशि | रू0 31473081.00 |
| अंतिम मापी पुस्त की राशि एवं तिथि | रू0 31666245.00 |

जिला शहरी विकास अभिकरण, मुजफ्फरपुर लेखा परीक्षा के क्रम में मुख्यमंत्री नगर विकास योजना के अन्तर्गत ई एन आई टी न0– 03/2014–15 द्वारा अखाड़ाघाट बॉध चौक से लकड़ीढाही चौक तक बॉध का चौडीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य से संबंधित योजना ली गई थी। नमूना जॉच क्रम में उपर्युक्त योजना में पाया गया था कि योजना का एकरारनामा रू 36151345.00 था। लेखा परीक्षा के समक्ष प्रस्तुत संचिका से यह स्पष्ट था कि सफल निविदाकार का उद्धत दर परिमाण विपत्र के अनुसूचित दर की राशि रू0 36373222.00 से 0.61 प्रतिशत कम यानि रू0 36151345.00 था। निविदा में कार्य समाप्ति अवधि 18 माह बाद यानि 06.04.2016 नियत की गई थी परन्तु लेखा परीक्षा की अवधि अक्टूबर 2016 तक मापी पुस्त के अनुसार सिर्फ रू0 31666245.00 के विरूद्ध एकरारनामा के अनुसार रू0 31473081.00 का ही कार्य दिखाया जा रहा था।

**लेखा परीक्षा टिप्पणी–**

(क) कार्य स्थल से बिजली का पोल हटाए बिना एकरारनामा किया गया था। इस संबंध में संचिका के अवलोकन के दौरान पाया गया कि कनीय अभियंता द्वारा दिनांक 17.12.2014 को कार्यपालक अभियंता

को पहली बार सूचित किया गया था कि बिजली के पोल को हटाना आवश्यक है अन्यथा सड़क निर्माण बीच में ही रूक जाएगा एवं कार्यालय द्वारा 07.01.2015 को एस्सेल को सभी पोलों को हटाने संबंधी पत्र लिखा गया था। आगे जॉच के दौरान यह भी पाया गया कि इस प्रकार के बिजली के पोलों की संख्या 34 थी तथा लेखा परीक्षा तिथि तक एक भी पोल को हटाया नहीं जा सका था।

लेखा परीक्षा द्वारा यह पूछे जाने पर कि पोल को न हटाए जा सकने के कारण तथा दोषी के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई, कार्यपालक अभियंता द्वारा विचार विमर्श के दौरान बताया गया कि विद्युत विभाग से अनुमति नहीं मिलने के कारण पोल सिफटिंग का कार्य बाकी रहने के कारण कार्य में विलम्ब हुआ तथा कार्य पूर्ण नहीं हुआ।

जवाब संतोषप्रद नहीं था, क्योंकि प्राक्कलन में ही पोल हटाने का प्रावधान था तथा कार्य शुरू किए जाने के पूर्व ही पोल हटाया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया था।

(ख) **ढुलाई पर किया गया अनियमित व्यय**

बिहार खनिज समुदान नियमावली 1972 के नियम 40 (10) के अनुसार प्रावधानानुसार अवैध खनन को रोकने एवं लघु खनिज के ढुलाई भुगतान को सुनिश्चित करने हेतु संवेदकों से प्रपत्र 'एम' तथा 'एन' एवं चालान का लिया जाना अनिवार्य है। चालानों का सत्यापन संबंधित खनन पदाधिकारी से कराये जाने के पश्चात् ही विपत्रों का भुगतान किया जाना है।

उपलब्ध कराई गई संचिका में स्टोन चिप्स को शेखपुरा से खरीदा जाना था। बी ओ क्यू के अनुसार किन–किन मेटेरियल का कितना उपयोग हुआ, इससे संबंधी मेटेरियल स्टेटमेंट उपलब्ध कराए गए संचिका में नहीं रहने के कारण लेखा परीक्षा द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया जा सका कि वास्तव में कितने मेटेरियल का खपत दिखाया गया तथा उस पर किया गया ढुलाई पर कितना अनियमित व्यय हुआ?

जवाब में कार्यपालक अभियंता द्वारा विचार विमर्श के दौरान बताया गया कि मैटेरियल से संबंधित खनन पदा0 से सत्यापित करा लिए गए है।

जवाब संतोषप्रद नहीं था क्योंकि कार्यालय द्वारा यह नहीं बताया गया था कि मेटेरियल स्टेटमेंट संचिका में उपलब्ध क्यों नहीं था जिस कारण ढुलाई पर किया गया अनियमित व्यय की राशि प्राप्त नहीं की जा सकी। मामला विभागीय उच्चाधिकारी के संज्ञान में लाया जाता है।

(ग) **रू0 33.52 लाख का कार्य नहीं किया जाना**

बी ओ क्यू के आइटम नं0 12 से 19 तक का कार्य मापी पुस्त में दर्ज नहीं पाया गया जिसकी कुल राशि रू0 3352343 होती है।

लेखा परीक्षा द्वारा यह पूछे जाने पर कि कार्य पूर्ण होने की तिथि बीत जाने के बावजूद भी कार्य का अपूर्ण रहने तथा उपर्युक्त कार्य नहीं किए जाने पर कार्यालय द्वारा कार्य पूर्ण किए जाने की दिशा में क्या कार्रवाई की गई?

जवाब में कार्यपालक अभियंता द्वारा विचार विमर्श के दौरान बताया गया कि मिट्टी खनन खुदाई का कार्य सरकार के, द्वारा बंद हो जाने के कारण अभी कार्य नहीं हो पाया है अब शीघ्र करा लिया जायेगा।

जवाब संतोषप्रद नहीं था क्योंकि अप्रैल में ही कार्य समाप्त करना था और छः माह बीत जाने के बाद भी काफी कार्य अपूर्ण था इसलिए संवेदक से यथाशीघ्र कार्य पूर्ण करा कर लेखा परीक्षा कार्यालय को कार्य पूर्ण होने में हुई देरी के वास्तविक कारण तथा उस पर की गई कार्रवाई की जानकारी दी जाएं।

**कंडिका :– 6 योजना का नाम :– मुख्यमंत्री नगर विकास योजनान्तर्गत पोखरिया पीर से नेशनल हाइवे तक पी0सी0सी0 सड़क एवं नाला** निर्माण ।

प्राक्कलित राशि :– 11731920

एकरारनामा की राशि :– 11311917

कार्यादेश की तिथि :– 23.07.2013

कार्य समाप्ति की तिथि :– छः माह (22.01.2014)

एकरारनामा सं0 :– 21F2/2013-14

एकरारनामा की तिथि :– 23.07.2013

(1) एकरारनामा में विलम्ब :–

निविदा निस्तारण के पश्चात दिनांक 31.05.2013 को संवेदक को कार्य आवंटित किया गया। एकरारनामा दिनांक 23.07.2013 को किया गया अर्थात 52 दिन विलम्ब से एकरारनामा किया गया, एकरारनामा विलम्ब से किये जाने के फलस्वरूप कार्य पूर्णता में देरी एवं लागत में वृद्धि की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। संचिका के जॉच में पाया गया कि संवेदक द्वारा उपर्युक्त व्यय पूर्ण नहीं किया गया।

लेखा परीक्षा के दौरान उपर्युक्त सभी बिन्दुओं पर मांगे गए मंतव्य के जवाब में कार्यपालक अभियंता द्वारा विचार विमर्श के दौरान बताया गया कि संवेदक द्वारा वांछित कागजात समय पर जमा नहीं कराया गया जिसके कारण एकरारनामा में विलम्ब हुआ।

**कंडिका : 7 कॉटी तिवारी टोला पक्की सड़क राजकीय नलकूप से तिवारी टोला विषहर स्थान तक भाया रामदेव प्रसाद, श्री राम पाण्डेय के घर होते हुए पी0सी0सी0 पथ निर्माण कार्य की समीक्षा।**

| | |
|---|---|
| योजना का नाम | मुख्यमंत्री नगर विकास योजना |
| कार्य का नाम | अखाडाघाट बॉध चौक से कॉटी तिवारी टोला पक्की सड़क राजकीय नलकूप से तिवारी टोला विषहर स्थान तक भाया रामदेव प्रसाद, श्री राम पाण्डेय के घर होते हुए पी0सी0सी0 पथ निर्माण कार्य। |
| कनीय अभियंता का नाम | श्री कौशल किशोर भगत। |
| संवेदक का नाम | मेसर्स गौरव कंसट्रक्शन। |
| एकरारनामा की राशि | रू0 7466671.00 |
| एकरारनामा संख्या | 03/2011–12 |
| एकरारनामा की तिथि | 06.06.12 |
| कार्य पूर्ण करने की तिथि | 27.12.2012 |
| मापी पुस्त संख्या | 01/2012–13 |
| भुगतान की गई राशि | 7438686.00 |
| अंतिम मापी पुस्त की राशि एवं तिथि | 7438686/30.06.15 |

जिला शहरी विकास अभिकरण, मुजफ्फरपुर लेखा परीक्षा के क्रम में मुख्यमंत्री नगर विकास योजना के अन्तर्गत ई एन आई टी न0– 03/2011–12 द्वारा कॉटी तिवारी टोला पक्की सड़क राजकीय नलकूप से तिवारी टोला विषहर स्थान तक भाया रामदेव प्रसाद, श्री राम पाण्डेय के घर होते हुए पी0सी0सी0 पथ निर्माण कार्य से संबंधित योजना ली गई थी।

नमूना जॉच क्रम में उपर्युक्त योजना में पाया गया था कि योजना की प्राक्कलित राशि रू 7701000 .00 थी। लेखा परीक्षा के समक्ष प्रस्तुत संचिका से यह सपस्ट था कि सफल निविदाकार द्वारा एकरारनामा अंकित अनुसूचित दर से 2.01 प्रतिशत कम पर यानि 7466671.00 पर किया गया था।

**लेखा परीक्षा टिप्पणी–**

**(क) त्रुटियों का सुधार किए बिना प्राक्कलन तैयार किया जाना**

अधीक्षण अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण ने पत्रांक 23/2011 एवं दिनांक 07.09.11 द्वारा कार्यालय को सूचित किया गया था कि प्राक्कलन त्रुटिपूर्ण है एवं इसकी सूचना सहायक अभियंता को दी जा चुकी है परन्तु लेखा परीक्षा को उपलब्ध संचिका में यह स्पष्ट नहीं था कि किन– किन बिन्दु पर अधीक्षण अभियंता द्वारा सहायक अभियंता को त्रुटि के संबंध में सूचित किया गया था तथा यह भी अस्पष्ट

था कि उन त्रुटियों का सुधार सहायक अभियंता द्वारा किया गया था अथवा नहीं। इस संबंध में लेखा परीक्षा द्वारा स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था जिसके जवाब में कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया था कि योजना से संबंधित अभिलेखों का विस्तृत रूप से जवाब जाचोपरान्त लेखा परीक्षा को समर्पित किया जाएगा।

अतः जवाब के आलोक में कार्रवाई कर लेखा परीक्षा कार्यालय को सूचित करना सुनिश्चित किया जाए।

**(ख) ढुलाई पर किया गया अनियमित व्यय रू0 12.11 लाख**

बिहार खनिज समुदान नियमावली 1972 के नियम 40(10) के अनुसार प्रावधानानुसार अवैध खनन को रोकने एवं लघु खनिज के ढुलाई भुगतान को सुनिश्चित करने हेतु संवेदकों से प्रपत्र 'एम' तथा 'एन' एवं चालान का लिया जाना अनिवार्य है। चालान का सत्यापन संबंधित खनन पदाधिकारी से कराये जाने के पश्चात् ही विपत्रों का भुगतान किया जाना है।

उपलब्ध कराई गई संचिका में स्टोन चिप्स को पहाड़पुर या शेखपुरा से खरीदा जाना था परन्तु न तो एम0 एवं एन0 फॉर्म का सत्यापन संबंधित माइनिंग ऑफिस से किया गया था और न ही कोई चालान की प्रति उपलब्ध कराई गई थी। स्पष्ट है कि इन स्टोन चिप्स पर भाड़ा के रूप में दिया गया व्यय अनियमित रहा।

| समाग्री | मात्रा | ढुलाई का दर | भुगतान (रू0) |
|---|---|---|---|
| स्टोन चिप्स | 452.7 +385.65 | 1444.59 | 1211000.00 |

जबाब में कहा गया कि संवेदक से एम एवं एन फार्म की मांग की जाएगी। तत्पश्चात् लेखा परीक्षा को समर्पित की जाएगी।

अतः जवाब के आलोक में कार्रवाई कर लेखा परीक्षा कार्यालय को सूचित करना सुनिश्चित किया जाए।

**(ग) अवमानक गुणवत्ता का कार्य का किया जाना**

कार्यपालक अभियंता द्वारा दिनांक 18.07.12 को किए स्थल निरीक्षण के क्रम में पाया गया था कि साइट पर कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता उपलब्ध नहीं थे तथा किए जा रहे कार्य में घटिया ईंट का उपयोग किया जा रहा था जिस कारण उनके द्वारा कार्य रोक दिया गया था। बाद में किस परिस्थिति में कार्य हुआ तथा कितनी खराब ईटें कार्य के दौरान उपयोग में लाई गई तथा इसके लिए ठेकेदार को कितना जुर्माना लगाया था इस संबंधी कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई थी। इस संबंध में लेखा परीक्षा द्वारा स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था।

उपर्युक्त के जवाब में कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया था कि संवेदक से एम एवं एन फार्म की मांग की जाएगी। तत्पश्चात् लेखा परीक्षा को समर्पित की जाएगी।

अतः जवाब के आलोक में कार्रवाई कर लेखा परीक्षा कार्यालय को सूचित करना सुनिश्चित किया जाए।

**(घ) काफी विलंब से कार्य का किया जाना**

कार्य के पूर्ण करने की प्रस्तावित तिथि 27.12.2012 थी जबकि मापी पुस्त के अवलोकन से यह पता चला कि अंतिम मापी दिनांक 30.06.2015 को की गई थी। लेखा परीक्षा को उपलब्ध कराए गए संचिका में कहीं भी कार्य पूर्णता का प्रमाण पत्र भी संलग्न नहीं पाया गया था इस संबंध में अपना मंतव्य दें कि कार्य कब पूर्ण किया गया तथा यह भी कि करीब ढाई वर्ष विलंब से कार्य पूर्ण करने के कारण निविदाकार को किस– किस प्रकार की पेनाल्टी लगाई थी क्योंकि संचिका में इस संबंध में की गई किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई का साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया था।

लेखा परीक्षा के दौरान उपर्युक्त सभी बिन्दुओं पर मांगे गए मंतव्य के जवाब में कार्यपालक अभियंता द्वारा विचार विमर्श के दौरान बताया गया कि योजना से संबंधित अभिलेखों की विस्तृत रूप से जबाव जाचोपरान्त लेखा परीक्षा को समर्पित किया जाएगा।

अतः जवाब के आलोक में कार्रवाई कर लेखा परीक्षा कार्यालय को सूचित करना सुनिश्चित किया जाए।

**कंडिका :– 08**

**योजना का नाम :– वार्ड न0 47 जय प्रकाश पथ शास्त्री नगर मुख्य सड़क का अवशेष भाग ले0स0 1 से 18 तक सड़क निर्माण।**

एकरारनामा सं0 :– $16F_2/2013-14$

प्राक्कलित राशि :– 82,28,467.000

एकरारनामा की तिथि :– 09.05.2013

कार्य प्रारंभ करने की तिथि :– 09.05.2013

कार्य समाप्ति की तिथि :– 08.11.2013

संवेदक का नाम :– राजीव कुमार

उपर्युक्त योजना के संचिका मापीपुस्त के नमूना जॉच में निम्नलिखित अनियमितता पाई गई :–

**(क) अनियमित भुगतान राशि 1.90 लाख**

योजना कार्य के मापीपुस्त एवं संचिका के जॉच के क्रम में पाया गया कि कार्य समाप्ति के पश्चात दिनांक 29.11.2013 को (मापीपुस्त सं0 25/2013–14 के पृष्ठ सं0 37 प्लास्टर का कार्य 157.92 $m^2$ @110.40m2=17434.37 एवं पी0सी0सी0 कार्य मात्रा 37.20 m3@4643.90= 172753.08 अर्थात कुल 190187.08 का भुगतान किया गया। अतः कार्य समाप्ति के पश्चात् उपर्युक्त कार्य कराने एवं भुगतान 190187.08 के औचित्य से अवगत कराए जाने को कहा गया था।

जवाब में कार्यपालक अभियंता द्वारा विचार विमर्श के दौरान बताया गया कि योजना से संबंधित अभिलेखों की विस्तृत रूप से जाँचोपरान्त जवाब लेखा परीक्षा को समर्पित की जायेगी।

अतः जवाब के आलोक में कार्रवाई कर लेखा परीक्षा कार्यालय को सूचित करना सुनिश्चित किया जाए।

**(ख) लघु खनिज सामग्रियों पर अनियमित भुगतान 21.87 लाख**

बिहार लघु खनिज समुदान नियमावली 1972 के नियम 40(10) एंव समय– समय पर जारी विभिन्न सरकारी निर्देशों के अनुसार कार्य में व्यवहृत लघु खनिज सामग्रियों का क्रय वैध पट्टाधारियों से करना है, इसके साक्ष्य मे संवेदक से प्रपत्र एम0 एवं एन0 चालान प्राप्त कर संबंधित जिला खनन पदाधिकारी से उसके सत्यापन के पश्चात विपत्र राशि का भुगतान किया जाना है। उक्त नियम के अनुपालन से न केवल अवैध खनन के रोक में मदद हो सकती है बल्कि सामग्री के वास्तविक उठाव, मात्रा गुणवत्ता तथा परिवहन व्यय की सत्यतता सुनिश्चित किया जा सकता है।

परंतु जॉच में पाया गया कि उपरोक्त कार्य में व्यवहृत लघु खनिज सामग्री के संबंध में संवेदक से बगैर प्रपत्र एम0 एवं एन0 तथा चालान प्राप्त किए को पारित कर उसके ढुलाई मद में 2186902 का भुगतान किया गया जिसकी विवरणी निम्नवत है :–

| सामग्री का नाम | व्यव्हृत मात्रा | ढुलाई दर | भुगतान राशि |
|---|---|---|---|
| सोन बालू | $479.12m^3$ | 1327.58 | 636070.00 |
| स्टोन चिप्स | $874.84m^3$ | 1729.28 | 1512843.00 |
| लोकल बालू | $231.11m^3$ | 164.38 | 37989.00 |
| | | | 2186902.00 |

लेखा परीक्षा के दौरान उपर्युक्त बिन्दु पर मांगे गए मंतव्य के जवाब में कार्यपालक अभियंता द्वारा विचार विमर्श के दौरान बताया गया कि संवेदक से एम0 एवं एन0 की मांग की जाएगी तत्पश्चात लेखा परीक्षा को सूचित किया जायेगा।

अतः जवाब के आलोक में कार्रवाई कर लेखा परीक्षा कार्यालय को सूचित करना सुनिश्चित किया जाए।

**कंडिका :– 09 रोकड़ बही में दर्ज नहीं रू0 2.03 लाख**

कार्यालय जिला शहरी विकास अभिकरण के प्रारंभ के वर्ष से 30.03.2016 तक के लेखा परीक्षा में रोकड़ बही के नमूना जॉच में पाया गया कि जिला योजना मद रोकड़ बही एवं राष्ट्रीय सम विकास योजना एवं बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, रोकड़ पंजी एवं संबंधित पासबुक के मिलान के क्रम में पाया गया कि निम्नलिखित बैंक खातों से निकासी की गई राशि रोकड़ बही में प्रविष्टि नहीं की गई थी। तथा जिला योजना मद का रोकड़ बही दिनांक 30.05.2014 के बाद संधारित नहीं था। जिसका विवरणी निम्नवत है–

| क्र0सं0 | बैंक का नाम/खाता सं0 | निकासी की तिथि | राशि |
|---|---|---|---|
| 1. | पी0एन0बी0 बैंक 6306000100001003 | 17.07.2015 | 203331 |

जवाब में कार्यपालक अभियंता द्वारा विचार विमर्श के दौरान बताया गया कि रोकड़बही में संधारण कर लिया जाएगा तथा अगले लेखा परीक्षा दल को दिखा दिया जायेगा।

जवाब मान्य नहीं है। रोकड बही का संधारण अद्यतन होना चाहिए। रोकड बही अद्यतन कर साक्ष्य अविलम्ब लेखा परीक्षा को उपलब्ध कराया जाय।

**कंडिका :– 10 रोकड़ बही एवं बैंक पासबुक में अंतर**

लेखा परीक्षा के नमूना जॉच में पाया गया कि निम्नलिखित रोकड़ बही एवं पासबुक की राशि में अंतर था। जिसका विवरणी निम्न प्रकार है :–

| क्र0सं0 | रोकड़ बही का नाम | रोकड़ बही की राशि | बैंक खाता की राशि | अन्तर |
|---|---|---|---|---|
| 1. | मुख्यमंत्री विकास योजना | 68600013 | 68599933 | –80 |
| 2. | जिला योजना मद | 325721 (17.07.2015) | 1439777 | –181744 |
| 3. | B.O.Q | 3015532 | 3015419 | –113 |
| 4. | वेतन भुगतान | 52715 | 52393 | –322 |
| 5. | राष्ट्रीय सम विकास बिहार रा0 पथ परिवहन निगम | 1478928 | 1525226 | 46298 |
| 6. | स्लम एरिया | 1184643 | 11963390 | 11747 |

लेखा परीक्षा के दौरान उपर्युक्त सभी बिन्दुओं पर मांगे गए मंतव्य के जवाब में कार्यपालक अभियंता द्वारा विचार विमर्श के दौरान बताया गया कि Bank reconciliation statement बनाकर अंतर की राशि को ठीक कर लिया जाएगा तथा लेखा परीक्षा को अवगत करा दिया जायेगा।

अतः जवाब के आलोक में कार्रवाई कर लेखा परीक्षा कार्यालय को सूचित करना सुनिश्चित किया जाए।

**कंडिका :– 11 विपत्र पंजी एवं प्रेषण पंजी का संधारण नहीं किया जाना**

कोषागार से निकासी की जाने वाली राशि हेतु विपत्र पंजी का संधारण किया जाना चाहिए एवं कार्यालय द्वारा कोषागार को वापसी अथवा जमा राशि हेतु प्रेषण पंजी का संधारण किया जाना चाहिए जो कि कार्यालय द्वारा संधारित नहीं किया गया।

जवाब में कार्यपालक अभियंता द्वारा विचार विमर्श के दौरान बताया गया कि भविष्य में विपत्र पंजी एवं प्रेषण पंजी का संधारण किया जाएगा।

अतः जवाब के आलोक में कार्रवाई कर अगले लेखा परीक्षा दल के समक्ष संबंधित अभिलेख उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

**कंडिका :12 योजनाओं का ससमय पूरा नहीं किया जाना– अद्यतन स्थिति**

जिला शहरी विकास अभिकरण, मुजफ्फरपुर के लेखा परीक्षा के दौरान पिछले तीन वर्षो के वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट था कि कार्यालय द्वारा लिए गए योजनाओं का निष्पादन संतोषप्रद नहीं था। विवरण निम्न प्रकार था–